प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर।

सेवा में,

उपनिदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
जिला पंचायत भवन,
गोरखपुर।

पत्रांकः 229 / न0आ0 / न0नि0गो0 / 2016–17 दिनाँकः 06 फरवरी, 2017

विषयः नगर निगम, गोरखपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराया जाना है कि नगर निगम, गोरखपुर के लेखा अभिलेखों का प्रत्येक वर्ष आपके कार्यालय के वरिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य किया जाता है। नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखा अभिलेखों का लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पादित करने हेतु अभी तक किसी भी लेखा परीक्षा दल को आपके द्वारा योजित नहीं किया गया है। इसलिए अभी तक वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा आरम्भ नहीं हुई है। सूच्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकायों के लिए शासन / निदेशालय को सम्प्रवर्तमान वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षा सम्पादित करा लिये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रेषित किये जाने की बाध्यता है।

अतः अपेक्षित है कि शीघ्रातिशीघ्र नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा हेतु अपने कार्यालय से लेखा परीक्षा दल भेजकर लेखा परीक्षा का कार्य सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

भवदीय

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ / अवलोकनार्थ प्रेषित–

229(i) 1– निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
229(ii) 2– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

13/2/17

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

Acctt.\693

•69

(2 ...) कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, जनपद, गोरखपुर।

प्रेषक,

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
जनपद गोरखपुर।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर।

संख्या: 20 वर्ष 2016-17 दिनांक: 10-11-17

विषय: वर्ष 2015-16 तक की अवधि की लेखा परीक्षा के प्रारम्भ होने की सूचना।

महोदय,

1. उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम-1984 के उपबन्धों/सरकारी आदेशों के अधीन उपर उल्लिखित संस्था के लेखाओं की लेखा परीक्षा इस विभाग द्वारा की जाएगी, जो विभाग के लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20-04-2017 को या उसके आसपास प्रारम्भ की जाएगी।
इस सन्दर्भ में आपको यह सूचित कर देना उचित होगा कि लेखा परीक्षा को स्थगित करना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इससे यात्रा भत्ता में पर्याप्त व्यय होता है और विभागीय कार्यक्रम में अनावश्यक असुविधा उत्पन्न होती है।
3. लेखा परीक्षा आपत्ति पत्र और लेखा परीक्षा अधियाचन, जिसमें लोगों और अनियमितताओं का उल्लेख होगा, को उत्तर सहित उनकी प्राप्ति के दिनांक से 03 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षा को वापस करने की कृपा करें। इस मामले में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा रिर्पोट प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है और लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रस्तुत किए गए उत्तरों का पुनर्विलोकन बाधित होता है।
4. कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारी को निदेश दे दें कि वह लेखा परीक्षक से, यदि आवश्यक हो परामर्श करें, जिससे की अधिकांश आपत्तियों का परिनिर्धारण लेखा परीक्षा के लम्बित रहने के दौरान किया जा सके।
5. लेखा परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे लेखा परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व संस्था के उद्देश्य, कार्य की दशा और लेखा की स्थिति से अवगत हो लें। आप कृपया इस निमित्त उचित सुविधा प्रदान करें।
6. लेखा परीक्षा द्वारा निर्गत किए गए लेखा परीक्षा शुल्क ज्ञाप के प्राप्त हो जाने पर लेखा परीक्षा शुल्क सरकारी कोषागार में जमा करने की व्यवस्था करें और इसकी सूचना इस कार्यालय को भेजें।
7. कृपया अपने कार्यालय और अधीनस्थों को निर्देश दे दें कि वे रोकडबही, वर्गीकृत सार, वार्षिक और मासिक लेखा, वेतन बिल और निस्तारण पंजी और साथ में निम्नलिखित लेखाभिलेख और सूचना को लेखा परीक्षा के प्रारम्भ होने के पूर्व व्यवस्थित कर लें जिससे कि लेखा परीक्षकों के पहुँचने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सके। इसके अतिरिक्त समय-समय पर लेखा परीक्षकों द्वारा मांगे जाने वाले अन्य लेखाओं और सूचनाओं को तत्परता से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यालय को अनुदेश निर्गत करने की कृपा करें।
   (क) कार्यालय में प्रयुक्त और अनुरक्षित रजिस्टरों की पूर्ण सूची।
   (ख) आय के स्त्रोतों की सूची और सम्बन्धित रजिस्टर।
   (ग) उन आयों की सूची जिनकी गणना रोकडबही और उससे सम्बन्धित रजिस्टर में नहीं की जाती है।
   (घ) कार्यालय में वाहनों की सूची और सम्बन्धित लेखा रजिस्टर।
   (ड.) लेखा परीक्षा की अवधि में निलम्बित हुए कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ।
   (च) कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप की पूर्ण सूची और सम्बन्धित पत्रावलियाँ।
   (छ) अन्य समस्त प्रतिभूति निक्षेपों की सूची और सम्बन्धित रजिस्टर और पत्रावलियाँ।
8. कृपया लेखा परीक्षा से सम्बन्धित पत्र व्यवहार सम्बन्धित वरिष्ठ लेखा परीक्षक या इस कार्यालय से करें।
9. कृपया इस पत्र की रसीद इस कार्यालय को तुरन्त अभिस्वीकृत करें।

टिप्पणी:- उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा-06 के उपबन्धों के अधीन लेखाभिलेख मांग किए जाने पर न प्रस्तुत करना, किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा किए जाने पर उपस्थित न होने पर, अपेक्षित स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करना यथा लेखा परीक्षा में बाधा उत्पन्न करना उक्त अधिनियम की धारा-07 के उपबन्धों के अधीन 06 माह की अवधि का कारावास या रूपये:- 1000/- (एक हजार) के अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय है।

श्री वीरेन्द्र कुमार
ज्येष्ठ लेखा परीक्षक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
शिविर नगर पालिका परिषद गोरखपुर।

A.C

भवदीय,

(राम प्रसाद)
उप निदेशक
प्रभारी जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
मो0नं0-9451387594

MC
12-4-17

कार्यालयः नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर

पत्रांक : 271 / न0आ0 / लेखा / न0नि0गो0 / 2017–18 दिनांकः 15 अप्रैल 2017

समस्त विभागाध्यक्ष
नगर निगम, गोरखपुर

कृपया उप निदेशक, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निकाय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, जनपद गोरखपुर के पत्र सं0 20 दिनांक 10–04–2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की सम्परीक्षा दिनांक 20–04–2017 से प्रारम्भ की जा रही है।

अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लेखा अभिलेखों की सम्परीक्षा हेतु सम्बन्धित अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि यथा–वांछित अभिलेख सम्परीक्षा दल को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही लेखा परीक्षक दल से परामर्श कर अधिकांश आपत्तियों का निस्तारण तत्समय ही करा लें।

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

प्रतिलिपि–

15/4/17

प्रभारी अधिकारी (आडिट)/मुख्य नगर लेखा परीक्षक को इस आशय से प्रेषित कि सम्परीक्षा दल को वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने एवं आडिट आपत्तियों को तत्समय निस्तारण कराने हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

1- मुख्य अभियन्ता 15.4.17
2- महाप्रबन्धक (जल)
3- मुख्य नगर स्वा0 अधि0
4- प्रभारी लाईसेन्स 15/4
5- प्रभारी पथ प्रकाश 15-4-17
6- प्रभारी रेन्ट 15-4-17
7- प्रभारी कम्प्यूटर 15/4/17
8- प्रभारी विधि 15/4
9- प्रभारी कर 15.4.17
10- प्रभारी अभिलेखागार

15/4/17

कार्यालयः नगर निगम, गोरखपुर

पत्रांक 522 /न0आ0/आडिट/लेखा/न0नि0गो0/2017–18 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, जनपद–गोरखपुर के पत्रांक–20/10.04.2017 के अन्तर्गत नगर निगम, गोरखपुर के वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का लेखा परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी होने के उपरान्त उक्त प्रतिवेदन नगर निगम के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी।

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर